

Chapter-3

Powers and Duties of officers and Employees

3. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. शिवाजी नगर, भोपाल	
पद का नाम	
शक्तियाँ	<p>प्रशासकीय</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम श्रेणी तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। 2. प्रथम श्रेणी तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना 3. प्रथम श्रेणी के पदों तक पदोन्नति एवं नियुक्तियां।
वित्तीय	<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यपालिका समिति रु. 1 करोड से अधिक 2. अध्यक्ष रु. 1 करोड तक 3. सचिव रु. 20 लाख 4. अतिरिक्त सचिव रु. 1 लाख-वार्षिक 10 लाख तक 5. परीक्षा नियंत्रक/ रु. 1 लाख/-वार्षिक 10 लाख तक 6. आंचलिक अधिकारी/उपसचिव रु. 20,000/-वार्षिक 03 लाख तक 7. वित्ताधिकारी रु. 50,000/-वार्षिक 03 लाख तक 8. पंजीयक/पी.आर.ओ./ प्रेस अधीक्षक/ रु. 10,000/-वार्षिक 1.50 लाख तक भण्डार अधिकारी/प्रथम श्रेणी अधिकारी/ निर्देशक विज्ञान केन्द्र 9. कार्यपालन यंत्री भवन सिविल एवं विद्युत -रु. 50,000/- वार्षिक 03 लाख तक एवं संधारण कार्य (लघुकार्य/सामग्री क्रय/ विद्युत यांत्रिकी उपकरण/मरम्मत कार्य, सडक, विद्युत उद्यान, विश्राम गृह,सफाई एवं अन्य विविध मरम्मत कार्य) 10. प्राचार्य, आदर्श उ.मा.विद्यालय -रु. 50,000/- वार्षिक 03 लाख तक 11. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय- रु. 50,000/- वार्षिक 03 लाख तक
कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधीनस्थ संरचनाओं पर प्रशासकीय नियंत्रण का कार्य 2. मण्डल की परीक्षाओं के सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संचालन का कार्य 3. परीक्षाफल घोषित करने तथा अंकसूची छात्र-छात्राओं तक भेजने का कार्य 4. मंडल की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन का कार्य 5. पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम को उन्नत बनाने हेतु योजना बनाना। 6. मंडल द्वारा चलाये जा रहे अन्य विभिन्न कार्यों जैसे-हेल्पलाईन के माध्यम से विद्यार्थियों को मागदर्शन, शिक्षक कल्याण कोष का संचालन, सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप द्वारा छात्र-छात्राओं को अध्ययन में मदद करना आदि।